**राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016,**

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
## राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा
### पीठासीन अधिकारी– महीपाल भारद्वाज, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 283/2002 (पुराने नं. 07/1999)
दायरा तिथि 21.06.2002 (18.01.1999)
निर्णय तिथि 16.06.2016

**वादीः–**

भीका उर्फ भीकसिंह पुत्र जोराजी
जाति पुरोहित, निवासी पराखिया
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

**बनामः**

**प्रतिवादीगणः–**

1–स्व.किस्तुर वल्द वगताजी के का.मु.–
1/1–नारायणसिंह पुत्र किस्तुरजी
1/2–मदनसिंह पुत्र किस्तुरजी
1/3–मु.मेथी बेवा किस्तुरजी
1/4–पुष्पा पुत्री किस्तुरजी
तमाम जातिगण पुरोहित
निवासीगण पराखियां तह.सुमेरपुर
2–रतनसिंह पुत्र सोहनसिंहजी
3–मोतीसिंह पुत्र किशनसिंहजी
4–उम्मेदसिंह पुत्र किशनसिंहजी
तमाम जातिगण राजपूत
निवासीगण जाखोडा तहसील सुमेरपुर
5–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
(भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट, 1955**

**–: नि र्ण य :–**

निर्णय दिनांक 16.06.2016

उपरोक्त अनबान प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकार मय अधिवक्ता की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा पराखिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 128, 129, 172, 180, 126, 127 कुल रकबा 2.82 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 80.33 के बारे में वादी को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं.01 के कायम मुकाम को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं.02 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं.03 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी सं.04 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए उक्त हिस्सा माफिक खातेदारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व वादी के बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु डिक्री का आदेश प्रदान करावे। वादी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2051–54, नक्शाट्रेस व खसरा गिरदावरी संवत् 2051–54 की सत्यापित प्रतिया पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 20.02.2004 को निर्णय पारित कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधारित पक्षकारों को खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना में पटवारी नेतरा द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बरोज आज पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत् मामले में हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पटवारी हल्का नेतरा की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुरूप खातेदारों के मध्य अंतिम बंटवाडा की डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के अंतिम रूप से स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा पराखिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 128, 129, 172, 180, 126, 127 कुल रकबा 2.82 हेक्टर के बारे में माफिक पटवारी हल्का नेतरा की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार खातेदारों के मध्य अंतिम बंटवाडा निम्न प्रकार से किया जाता है–

| क्र. सं. | खातेदार का विवरण | खसरा नंबर | रकबा हेक्टर में | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| (1) | रतनसिंह पुत्र सोहनसिंहजी कौम राजपूत साकिन जाखोडा सा.देह खातेदार | 128<br>129<br>180 | 0.23<br>1.02<br>0.12 | चा. II<br>चा. II<br>चा. II |
| | | **03** | **1.37 हेक्टर** | –– |
| (2) | मोतीसिंह, उम्मेदसिंह पुत्र किशनसिंहजी कौम राजपूत साकिन जाखोडा सा.देह खातेदार | 180/1<br>172 | 0.21<br>0.70 | चा. II<br>चा. II |
| | | **02** | **0.91 हेक्टर** | –– |
| (3) | भीका उर्फ भीकसिंह पुत्र जोराजी कौम पुरोहित साकिन पराखियां सा.देह खातेदार | 180/2 | 0.46 | चा. II |
| | | **01** | **0.46 हेक्टर** | –– |
| (4) | संयुक्त खातेदारी हिस्सा मुजब | 126<br>127 | 0.02<br>0.06 | गै.मु.बेरा<br>गै.मु.सडा |
| | | **2** | **0.08 हेक्टर** | –– |

**नोटः–** प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग माना व पढा जायेगा।

तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नेतरा माफिक निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 16.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**
**सुमेरपुर, जिला–पाली**

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner